न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 30/2023

प्रीति पुंज -बनाम- मनोज अग्रवाल

(द.प्र.सं. की धारा 144)

का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेशपर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3

23.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी, डुमरी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत की तिथि से अगले 60 दिनों तक के लिए प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
जामतारा	0103	54	1533	35 डि0

थाना प्रभारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वादगत भूमि मौजा जामतारा, खाता सं. 54, प्लॉट सं. 1533, रकवा 35डि. भूमि प्रथम पक्ष आवेदिका के सास मसोमत नगीना पति विशुन साव ग्राम जामतारा, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह को निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 15.07.87 से दखल कब्जा है तथा जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। जिसका वर्तमान चौहदी : दक्षिण - पी0सी0सी0 रोड, उतर - परती जमीन, पूरब - मिस्टर खान का पक्का मकान, पश्चिम - परती जमीन है। आवेदिका के बाहर रहने के कारण उक्त जमीन पर मनोज अग्रवाल पिता स्व. किशुन राम, ग्राम जामतारा, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह के द्वारा भूमि पर चारदिवारी देने का कार्य किया जा रहा है। आवेदिका, प्रीति पुंज के पास उक्त जमीन से संबंधित डीड एवं मालगुजारी रसीद है तथा जमीन पर प्रथम पक्ष वर्षो से काबिज है तथा द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर अपना हक जता रहा है, जिससे दोनों पक्षों में व्याप्त तनाव को देखते हुए वादगत भूमि पर द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। जिसके आलोक में यह वाद प्रारम्भ किया गया।

निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे तथा अपना-अपना कारणपृच्छा एवं दस्तावेजों की छाया प्रति न्यायालय में समर्पित किया गया।

---- **प्रथम पक्ष** ----

प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में समर्पित अपने आवेदन एवं कारणपृच्छा के साथ अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों की छाया प्रति समर्पित किया गया :-

1. वादगत भूमि से संबंधित निबंधित दस्तावेज सं. 9590 दिनांक 14.07.1972, निबंधित दस्तावेज सं. 8618, दिनांक 15.07.1987 की छाया प्रति।
2. वादगत भूमि से संबंधित पंजी-2 की सत्यापित प्रति की छाया प्रति तथा लगान मालगुजारी रसीद सं. 551746 वर्ष 1977-78 से 1983-84 की छाया प्रति, लगान

मालगुजारी रसीद सं. 767785 वर्ष 99-2000 की छाया प्रति।

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन एवं कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वादगत भूमि मौजा जामतारा, खाता सं. 54, प्लॉट सं. 1533, रकवा 35 डि. भूमि जिसका चौहदी: उतर- परती जमीन रामलखन भगत, दक्षिण- रास्ता, अब पी.सी.सी. पथ, पूरब- सखलय मियां, वर्तमान मिस्टर खान का घर तथा पश्चिम- बाना बांध पिंड, परती जमीन है। उक्त भूमि चमन मल्लाह एवं अन्य के द्वारा श्रीमति विमला देवी को निबंधित दस्तावेज सं. 9590 दिनांक 14.07.1962 के माध्यम से बिक्री करते हुए बिक्रेता के द्वारा उक्त भूमि पर क्रेता को सम्पूर्ण अधिकार सौंप दिया। उसके उपरान्त क्रेता का नाम अंचल डुमरी के पंजी 2 में जमाबंदी कायम होकर लगान का भुगतान करते हुए मालगुजारी रसीद प्राप्त किया गया। विमला देवी एवं बासुदेव प्रसाद नावल्द फौत कर गए एवं उसके बाद विमला देवी की सास नगीना देवी पति विशुन साव के द्वारा उक्त भूमि को कलावती देवी पति राजेन्द्र प्रसाद बर्णवाल को निबंधित दस्तावेज सं. 8618 दिनांक 15.07.1987 के माध्यम से बिक्री कर दिया गया। कलावती देवी के मृत्यु उपरान्त उसके पति राजेन्द्र प्रसाद बर्णवाल एवं उनके दो पुत्र अजय कुमार बर्णवाल एवं संजय कुमार बर्णवाल उक्त भूमि पर दखलकार हुए। इसी बीच संजय कुमार बर्णवाल की मृत्यु हो गई एवं उनके पीछे उनकी पत्नी सीमा देवी एवं उनका दो वर्षीय पुत्र अपने नैहर में बस गए तथा उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पति अजय कुमार बर्णवाल के हिस्से में प्राप्त हो गया। द्वितीय पक्ष वादगत भूमि के मध्ये 17.5 डि. भूमि पर फर्जी दस्तावेज के सहारे अपना हक जता रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा मना करने पर मार-पीट एवं गाली-गलौज पर द्वितीय पक्ष उतारू हो जाते हैं। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने से प्रतिबंधित करने एवं प्रथम पक्ष को रिक्त करने का अनुरोध न्यायालय से किया गया।

---- द्वितीय पक्ष ----

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों की छाया प्रति समर्पित किए :-

a. वादगत भूमि से संबंधित निबंधित दस्तावेज सं. 706 दिनांक 03.02.1945 की सच्ची अभिप्रमाणित प्रति की छाया प्रति।
b. वादगत भूमि से संबंधित माननीय न्यायालय मुंसफ, हजारीबाग में संचालित टाईटल सूट सं. 140/1955 में पारित आदेश की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति।
c. वादगत भूमि से संबंधित ऑनलाईन पंजी 2 तथा ऑनलाईन लगान रसीद सं. 0737494623 वर्ष 2023-24 की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वादगत भूमि मौजा जामतारा, खाता सं. 54, का सर्वे खतियान फुचन केवट पिता लेदो केवट के नाम से दर्ज है। फुचन केवट अपने दो पुत्र सोमरा केवट एवं विरना केवट को छोड़कर मरे। विरना केवट अपनी विधवा मसोमात कौशिल्वा वो दो नाबालिग पुत्र पुरन केवट वो छेदी केवट को छोड़कर मरें। विरना केवट के मरने के बाद दिनांक 03.02.1945 को मसोमात कौशिल्वा खुद वो नाबालिग पुत्र पुरन केवट वो छेदी केवट के तरफ से उक्त खाता नं. 54, प्लॉट नं. 1533, रकवा 35डि. के मध्ये 17.

5 डि. भूमि वो प्लॉट नं. 1550, रकवा 5 डि0 के मध्ये 2.50 डि. वो प्लॉट नं. 1551, रकवा 04 डि. के मध्ये 02 डि0 वो प्लॉट नं. 1552, रकवा 27 डि. के मध्ये 13.50 डि. तथा प्लॉट नं. 1553 रकवा 02डि. के मध्ये 01 डि. कुल रकवा 36.50डि. भूमि बजरिए निबंधित केवाला सं. 706 दिनांक 03.02.1945 को जीमन का कीमत 148 रू. प्राप्त कर किशुन राम पिता गुरूचरण साहु, ग्राम जामतारा, थाना डुमरी, जिला हजारीबाग हाल जिला गिरिडीह को बेच दिए एवं तब से क्रेता उक्त भूमि पर दखलकार है। किशुन राम अपने नाम से उक्त भूमि का दाखिल-खारिज कराते हुए मालगुजारी रसीद हासिल किये। उनके मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र सरकार को माल़गुजारी अदा किए। किशुन राम अपने जीवन काल में खरीदगी जमीन के बावत फुचन केवट के पुत्र सोमरा केवट वो सोमरा केवट के पुत्र चमन केवट वो पुरन केवट के द्वारा विवाद पैदा किया जाने लगा। जिसके कारण किशुन राम के द्वारा माननीय न्यायालय में टी0एस0 सं0 140/1955 मुन्सफ न्यायालय, गिरिडीह के अदालत में दाखिल किए जिसका फैसला दिनांक 22.06.1957 को किया गया। जिसमें किशुन राम को डिक्री प्राप्त हुआ। तदुपरान्त किशुन राम एवं उनके पुत्र उक्त भूमि पर दखलकार हुए। द्वितीय पक्ष पांच भाईयों के बीच प्लॉट सं. 1533 की रकवा 17.50 डि. पर चाहरदिवारी देकर घेरे हुए है तथा शांतिपूर्ण दखलकार है। इस वाद में केवल मनोज अग्रवाल को पक्षकार बनाया गया है, इसलिए यह वाद चलने लायक नहीं है। चमन मल्लाह पुरन मल्लाह दोनों के पिता स्व0 सोमर मल्लाह एवं मसोमात कुन्ती पति स्व0 सोमर मल्लाह को मिलकर प्लॉट सं. 1533 का कुल जमीन 35 डि. बिमला देवी के नाम से केवाला कर दिए और उसी आधार पर प्रथम पक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है, जबकि उन तीनों को प्लॉट सं. 1533, का रकवा 35डि. जमीन को बेचने का हक अधिकार नहीं था। इसलिए प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत केवाला फर्जी है तथा उस केवाला से प्रथम पक्ष का दावा एवं अधिकार नहीं बनता है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से प्रथम पक्ष के वादगत भूमि पर जाने से प्रतिबंधित करते हुए द्वितीय पक्ष को रिक्त करने का अनुरोध किया गया।

---- **विचारण एवं आदेश** ----

उभय पक्षों के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन करने एवं उनके विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस को सुनने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को ऐसा प्रतीत होता है कि वादगत भूमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा निबंधित दस्तावेज एवं पंजी-2 तथा वर्ष 1999-2000 तक का लगान रसीद के सहारे कुल रकवा 35 डि. भूमि पर दावा किया जा रहा है जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा भी निबंधित दस्तावेज, अद्यतन लगान रसीद एवं माननीय न्यायालय द्वारा टी.एस. सं. 140/1955 में पारित आदेश के सहारे 17.5 डि. भूमि पर दावा किया जा रहा है। जिसकी पुष्टि माननीय न्यायालय द्वारा टी.एस. सं. 140/1955 में पारित आदेश के अवलोकन से भी होती है। चूंकि इस वादगत भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा टी.एस. सं. 140/1955 के माध्यम से निष्पादन किया जा चुका है। अतएव इस मामले में पुनः कोई निर्णय लिया जाना विधिसम्मत नहीं होगा।

उभय पक्ष एक-दूसरे के निबंधित दस्तावेजों को फर्जी बता रहे हैं। जबकि किसी भी निबंधित दस्तावेज की वैद्यता का जाँच करना अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अधोहस्ताक्षरी इस संबंध में कोई भी विधिक आदेश पारित करने हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है। अतएव क्षुब्ध पक्ष चाहें तो निबंधित दस्तावेज की सत्यता की चुनौति एवं वादगत भूमि पर अपना दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर निष्पादन करवा सकते है।

द0प्र0सं0 की धारा 144 के उपधारा 4 के आलोक में आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है, अतः प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी, डुमरी के प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

लेखापित एवं सशोधित

23.06.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

23.06.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by JITRAY MURMU
Date: 2024.07.22 15:47:52 +05:30
Location: 192.168.1.12